GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार
Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

E-mail: elementaryps@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

ई–मेल/अति आवश्यक/तिथिबद्ध।

सेवा में

राज्य के सभी,
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी कमांकः– 8/22–2025 पी0एस0 (ई–1)
दिनांक, पंचकूलाः– 05.09.2025

विषय :– **शैक्षणिक सत्र 2025–26 में आर.टी.ई. के तहत दाखिले के सम्बन्ध में सीट न दर्शाने व मान्यता के दस्तावेज अपलोड न करने के कारण रिजेक्ट किये गए विद्यालयों के MIS संचालन बारे।**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको निर्देश दिए जाते है कि निम्न बिन्दुओं पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें:–

बिन्दु न0 1:– 1680 अप्रकाशित सीटों वाले मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालय (Non Declared Seats) बारे कार्यवाही निम्नलिखित तीन चरणो में की जाए:–

(1) जिन मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों की फीस प्रति माह 1000 रूपये तक है उन स्कूलों की निम्न स्तर के चरण में गणना करके प्रत्येक विद्यालय पर ₹ 30,000/- का जुर्माना लगाएँ।

(2) जिन मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों की फीस प्रति माह 3000 रूपये तक है उन स्कूलों की मध्यम स्तर के चरण में गणना करके प्रत्येक विद्यालय पर ₹ 70,000/- का जुर्माना लगाएँ।

(3) जिन मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों की फीस प्रति माह 3000 रूपये से अधिक है उन स्कूलों को अपने स्तर पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए, निजी सुनवाई हेतु बुलाएँगे तथा अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार जुर्माना तथा आवश्यक कार्यवाही अमल में लाएंगे।

(4) गैर मान्यता प्राप्त प्राईवेट स्कूलों को बन्द करने बारे अपने स्तर पर नोटिस देकर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विद्यालयों का फार्म–6 अथवा उनकी मासिक फीस चैक करके उपरोक्त कार्यवाही अमल में लाएंगे।

GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणा सरकार
Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

E-mail: elementaryps@gmail.com - Site: www.harprathmik.gov.in

बिन्दु न0 2:– 1128 मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालय जिन्हें जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता व अन्य स्थिति के आधार पर अस्वीकृत किया गया (rejected by DEEOs on recognition/other status grounds)

(1) आप द्वारा जिन स्कूलों को अभी तक नोटिस नहीं दिए गए हैं उन स्कूलों को तुरन्त नोटिस देकर उनका जवाब मांगे तथा उनकी डिटेल सहित जवाब का अवलोकन करें तथा मान्यता सर्टिफिकेट भी संलग्न करें।

(2) जिन विद्यालयों के मान्यता प्रमाण–पत्र वैध पाये जाते हैं, उनकी सूची बनाकर मान्यता प्रमाण पत्र सहित भिजवाएँ।

(3) जिन विद्यालयों द्वारा मान्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता या गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं तो उनकी सूची अलग–अलग बनाकर भिजवाएँ।

बिन्दु न0 3.– अल्पसंख्यक श्रेणी के विद्यालयों के अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र सत्यापित करके, प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए, ऐसे विद्यालयों की सूची बनाकर भिजवाएँ।

आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त अनुसार कार्यवाही करके दिनांक 10.09.2025 तक हर अवस्था में उपरोक्त अनुसार रिपोर्ट निदेशालय में भेजना सुनिश्चित करें।

नोटः– **विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, डीम्ड मान्यता या अस्थायी मान्यता जो कि वर्तमान सत्र में भी मान्य है जो कि साल दर साल नवीनीकृत हैं, उन मान्यता प्रमाण पत्रों को वैध माना जाए। किसी भी बोर्ड से सम्बन्धित Affiliation सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे।**

(उपरोक्त मदों से सम्बन्धित कोई कठिनाई सामने आने पर निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं।)

नवीन

सहायक निदेशक, प्राईवेट स्कूल (ई0),
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।